न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 43/2017
अन्तर्गत धारा :— 212 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

1. जमाल उर्फ जमालुदीन पिता खाजु नीलगर निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——प्रार्थी

बनाम

1. हाजी पिता खाजु नीलगर निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. फत्तु उर्फ फतेह मोहम्मद पिता खाजु नीलगर निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. जगरूप उर्फ जिगरूदीन पिता खाजु नीलगर निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर (भीलवाड़ा)

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगणः श्री महेश दाधीच
अधिवक्ता विपक्षीगणः श्री मुकेश कुमार चौधरी

निर्णय दिनांक 14.08.2020

प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 1725 में वर्णित आराजी संख्या 1149 रकबा 0.42 हे0 किस्म बारानी तृतीय जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 0.0838 हे0 भूमि अवाप्त की गई जिससे अब शेष रकबा 0.3362 हे0 शेष है व इसी प्रकार 1151 रकबा 2.38 हे0 किस्म बारानी तृतीय जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 0.8539 हे0 भूमि अवाप्त की गई जिससे अब शेष रकबा 1.6261 हे0 शेष है जिसके लिए जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 प्रस्तुत है।

यह कि चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात अविभक्त पैत्रिक सम्पति जिसका विभाजन नहीं हुआ है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा व विपक्षी संख्या एक का 1/4 हिस्सा व विपक्षी संख्या दो का 1/4 हिस्सा व विपक्षी संख्या तीन का 1/4 हिस्सा निहित होकर दर्ज है।

यह कि उक्त वर्णित आराजियात का अविभक्त पैत्रिक सम्पत्त है जो खाजु जी के वक्त से ही चली आ रही है, उनके निधन के बाद प्रार्थी व विपक्षी संख्या एक लगायत तीन के नाम दर्ज हुई है जिसका संपरिवर्तन नहीं हुआ है व काश्त के लिए उपयोग आ रही है लेकिन विपक्षी संख्या एक की नियत में बदनियती आ गई है जिससे विपक्षी संख्या एक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आराजी संख्या 1149 व 1151 पर आगे के भाग पर अनाधिकृत अवैध निर्माण आवासीय व व्यावसायिक उपयोग के लिए कर रहा है [illegible] सहहिस्सेदारी की सहमति के व कृषि भूमि पर किसी भी खातेदार को निर्माण करने का अधिकार नहीं है। अगर विपक्षी संख्या एक मौके पर वादग्रस्त आराजियात [illegible] प्रार्थी अपने अधिकारों से वंचित हो जायेगा व पक्षकारों के मध्य [illegible] बढ़ेगी। अतः उक्त [illegible] आराजियात का संपरिवर्तन नहीं हुआ है, न ही विभाजन हुआ है [illegible] पर विपक्षी संख्या एक [illegible] तीन कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:43:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

स्थायी निर्माण नहीं करें , न आवासीय उपयोग का निर्माण करें, न आधिपत्य हटावें, न ये कृत्य स्वयं करें , न अन्य से करावें।

यह कि न्यायालय आप में विचाराधीन वाद के निस्तारण में समय लगने की संभावना है तथा विपक्षी संख्या एक हिस्से विशेष पर बिना संपरिवर्तन कराये कृषि भूमि पर स्थायी निर्माण करने पर आमादा है व मौके पर निर्माण सामग्री डाल रखी है जिससे अगर विपक्षीगण स्थायी निर्माण कर देता है तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हैं। प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया प्रकरण है तथा सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है जिससे न्यायहित में ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक व न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमायी जावे कि उक्त वर्णित आराजियात का संपरितर्वन नहीं हुआ है न ही विभाजन हुआ है जिस पर विपक्षी संख्या एक लगायत तीन कोई स्थायी निर्माण नहीं करें, न आवासीय उपयोग का निर्माण करें, प्रार्थी के 1/4 हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा व व्यवधान पैदा नहीं करें , न आधिपत्य हटावें, न ये कृत्य स्वयं करें, न अन्य से करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.04.2017 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 4 पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। विपक्षी संख्या 01 को कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दिनांक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 जा0दी0 का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पोटलां की वादग्रस्त आराजी संख्या 1149, 1151 पर विपक्षीगण जबरन निर्माण करने पर आमादा है तथा कृषि भूमि पर व्यावसायिक व आवासीय निर्माण कर रहा है जिसके मौके की कमिश्नर रिपोर्ट तलब फरमायी जावें। न्यायालय कमीश्नर नियुक्त करना उचित नहीं समझतता है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 जा0दी0 का खारिज किया जाता है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत निवेदन किया।

इसी प्रकार विपक्षीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मनगंढ़त व असत्य होना बताकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट का खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:43:44 IST
Reason: SelfAttested

मैनें पत्रावली का अधोपान्त अवल[illegible] तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के **तीनों** बिन्दुओं [illegible] इस प्रकार है:–

प्रथम दृष्टया माम[illegible] कराये कृषि भूमि पर स्थायी निर्माण करने व मौके पर निर्माण सामग्री डाल रखी [illegible] जिससे अगर विपक्षीगण स्थायी निर्माण

2.

सहायक [illegible] पदेन [illegible] गंगापुर [illegible]

Scanned with CamScanner

कर देता है तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

द्वितीय बिन्दु सुविधा का संतुलनः– चूंकि वाद वर्णित आराजियात का विभाजन नहीं हुआ है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है। अतः सुविधा व संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है।

तृतीय बिन्दु अपूरणीय क्षतिः– विर्णित आराजियात अविभक्त पैत्रिक संपत्ति है जिससे विपक्षीगण कब्जेदार स्वामित्व है। प्रार्थी द्वारा ऐसी कल्पना की हैं कि जबरदस्ती निर्माण करवा देंगे जिससे अपूरणीय क्षति होगी। अतः बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

–::आदेश::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु साबित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 1725 में वर्णित आराजी संख्या 1149 रकबा 0.42 हे0 का अवाप्त के बाद शेष रकबा 0.3362 हे0 एवं आराजी संख्या 1151 रकबा 2.38 हे0 का अवाप्त के बाद शेष रकबा 1.6261 हे0 में प्रार्थी के 1/4 हिस्से व कब्जे काश्त में मूलवाद के ताफैसला किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

आदेश दिनांक 14.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास पंचोली) पदेन
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

3.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:43:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner